भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1459
दिनांक 29 जुलाई, 2025 / 07 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम योजना

†1459. डॉ. निशिकान्त दुबे:
श्री पी.पी. चौधरी:
श्री पी. सी. मोहन:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री तेजस्वी सूर्या:
श्री रमेश अवस्थी:
डॉ. मन्ना लाल रावत:
श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
श्री अनुराग शर्मा:
श्री दिलेश्वर कामैत:
कैप्टन बृजेश चौटा:
श्रीमती हिमाद्री सिंह:
श्री विजय बघेल:
श्री छत्रपाल सिंह गंगवार:
सुश्री कंगना रनौत:
श्री आलोक शर्मा:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्री कंवर सिंह तंवर:
श्री करण भूषण सिंह:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:
श्रीमती अपराजिता सारंगी:
श्री जगदम्बिका पाल:
श्री विष्णुदयाल राम:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) योजना की शुरुआत से अब तक महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) योजना के अंतर्गत राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों, विशेषकर मध्य प्रदेश एवं राजस्थान को जारी की गई कुल धनराशि (करोड़ में) क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत देश भर में स्थापित साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या, राज्यवार विशेषकर मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दक्षिण कन्नड़ जिले मे कितनी है, तथा उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्थान में उक्त योजना के अंतर्गत अब तक प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों की वर्षवार और जिलेवार संख्या कितनी है;

लोक सभा अतारांकित प्रश्न. संख्या 1459, दिनांक 29.07.2025

(घ) क्या छत्तीसगढ़ में सीसीपीडब्ल्यूसी योजना के अंतर्गत साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं/स्थापित करने का प्रस्ताव है: और

(ङ) यदि हाँ, तो उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जो अब तक सीसीपीडब्ल्यूसी योजना के अंतर्गत साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित करने में असमर्थ रहे हैं, तथा उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ङ) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध समेत अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के क्षमता संवर्धन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।

केंद्र सरकार ने महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों समेत साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को उनके क्षमता निर्माण, जैसे कि साइबर फॉरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, कनिष्ठ साइबर परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने और विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के कार्मिकों, लोक अभियोजकों एवं न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 'महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)' योजना के तहत वित्तीय सहायता जारी की है। सीसीपीडब्ल्यूसी योजना के तहत दिनांक 31.03.2024 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

ii. 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मेघालय, नागालैंड, दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव, पंजाब, त्रिपुरा, पुडुचेरी, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड,

लोक सभा अतारांकित प्रश्न. संख्या 1459, दिनांक 29.07.2025

मणिपुर, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और दिल्ली में साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं चालू की गई हैं। तमिलनाडु में प्रयोगशाला केवल आंशिक रूप से कार्यात्मक है।

iii. जांच और अभियोजन पर बेहतर ढंग से कार्रवाई करने के लिए एलईए कार्मिकों, लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया गया है। सीसीपीडब्ल्यूसी योजना के तहत 24,600 से अधिक एलईए कार्मिकों, लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों को साइबर अपराध जागरूकता, जांच, फोरेंसिक आदि पर प्रशिक्षण दिया गया है। वर्ष-वार और जिलेवार प्रशिक्षित पुलिस कार्मिकों के संबंध में विशिष्ट डेटा को केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

*****

अनुलग्नक

लोक सभा. अता. प्र. सं. 1459 दिनांक 29.07.2025

'महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)' योजना के तहत 31.03.2024 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का राज्य-वार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	4.42	0	0	0	0.49	0	1.24
2	अरुणाचल प्रदेश	1.65	0	0	0	0	0	0
3	असम	4.19	0	0	0	0	0	0
4	बिहार	2.47	0	0.6	0.12	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	2.59	0	0	0	0.29	0	0.39
6	गोवा	1.63	0	0	0	0	0	0.29
7	गुजरात	2.72	0	0.73	0	0	0	0
8	हरियाणा	2.53	0	0	0	0.23	0	1.28
9	हिमाचल प्रदेश	1.65	0	0.04	0.12	0.12	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	1.7	0	0	0	0	0	0
11	झारखंड	1.82	0	0	0	0.34	0	0
12	कर्नाटक	4.46	0	0	0	0.4	0	0.96
13	केरल	4.35	0	0	0	0	0	0.64
14	मध्य प्रदेश	2.85	0	0	0	0	0	1.06
15	महाराष्ट्र	4.58	0	0	0	0	0	0.92
16	मणिपुर	1.63	0	0	0	0.26	0	0
17	मेघालय	1.62	0	0	0	0	0	0.06
18	मिजोरम	1.62	0	0	0.12	0.12	0	0.16
19	नागालैंड	1.63	0	0.08	0	0	0	0
20	ओडिशा	2.62	0	1.2	0	0.2	0	0
21	पंजाब	2.55	0	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	4.4	0	0	0	0.47	0	0.75
23	सिक्किम	1.62	0	0	0	0	0	0.03
24	तमिलनाडु	2.99	0	0	0	0.35	0	0
25	तेलंगाना	4.34	0	0	0	0	0	1.05
26	त्रिपुरा	1.64	0	0	0	0.12	0	0
27	उत्तर प्रदेश	4.71	0	0	0	0	0	0
28	उत्तराखण्ड	1.66	0	0	0	0	0	0.75
29	पश्चिम बंगाल	4.32	0	0	0	0.24	0	0.26
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.62	0	0	0	0	0	0
31	चंडीगढ़	1.61	0	0	0	0	22.35	0
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3.20	0	0	0	0	0	0
33	दिल्ली	2.51	0	0	0	0	0	0
34	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	1.6	0	0	0	0	0	0.85
36	पुडुचेरी	1.63	0	0	0	0.12	0	0
	कुल	93.13	0	2.65	0.36	3.75	22.35	10.69